वित्तीय स्वीकृति

संख्या-45/1834/52-3-14- बजट(10)/2014

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,

सचिव,

उ0प्र0 □□□□

सेवा में,

□□□□□,

अल्पसंख्यक कल्याण : 0प्र0

□□□□□

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभा- 3, □□□□: दिनांक 1 अगस्त, 2014

विषयः-वित्तीय वर्ष 2014-15 में पूर्वदशम कक्षाओं में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदाय के ह /छात्राओं को छात्रवृत्ति वितरण हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में। (आयोजनेत्तर)

□□□□,

उपर्युक्त विषय के संबंध में समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्गत □□□□□□ □0-966/26-3-2014-4(215)/90टी0□□0-1, दिनांक 20.6.14 के अनुक्रम में तथा वित्त (□□-व्ययक) □□0-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-□□-1-2457/□□-2014-231/2014, दिनांक 22.7.2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त विभाग के उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप के प्रस्त-2(13) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय व्यय में अल्पसंख्यक समुदाय के पूर्वदशम कक्षाओं अध्ययनरत छा /छात्राओं को लाभान्वित किये जाने हेतु आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधानित धनराशि रू0 30,12,00,000/- (रू0 □□ □□□ □□□

http://shasanadesh.up.nic.in

लाख मात्र) निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- योजनान्तर्गत पात्र छात्र/छात्राओं को देय धनराशि का भुगतान □□□□□□ □□0-966/26-3-2014-4(215)/90टी0□□0-1, दिनांक 20.6.14 की व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि के विवरण तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र माह फरवरी, 2015 की समाप्ति पर शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

3- जिन विद्यालयों/मदरसों के विरूद्ध छात्रवृत्ति के भुगतान अनियमितताओं की शिकायत हो उनमें छात्रवृत्ति की धनराशि की अनियमितताओं की प्रबल संभावना को दृष्टिगत रखते हुये विद्यालयों/मदरसों के छात्र/छात्राओं को छात्र वृत्ति का भुगतान छात्र/छात्राओं की वास्तविक संख्या का पूर्ण सत्यापन कराकर ही किया जायेगा। यदि फिर भी धनराशि के वितरण में किसी प्रकार की अनियमितता प्रकाश में आती है तो इसके लिये संबंधित अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगें।

4- धनराशि का आवंटन किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं □□□ □□जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियमों संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, □□ मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली □□□□

http://shasanadesh.up.nic.in

5- छात्रवृत्ति वितरण के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया □□□□□

6- उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष शैक्षिक सत्र 2014-15 में पूर्वदशम कक्षाओं में अध्ययनरत पात्र अल्पसंख्यक /छात्राओं की छात्रवृत्ति का ही भुगतान किया जायेगा।

2- उपरोक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय व 2014-15 □□ □□ व्ययक के अनुदान संख्य -48 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2225-□□□□□ जातियों, जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-आयोजनेत्तर-80-सामान्य-03-अल्पसंख्यकों कल्याणें-0301-अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रं / छात्राओं छात्रवृंत्त-21-छात्रवृत्तियाँ और छात्र वेतन के नामें डाला जायेगा।

3- □□□आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-□□-1-2457/□□-2014- 231/2014, दिनांक 22.7.2014 में प्रदत्त निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
□□□□

<u>संख्य -1834(1)/52-3-14-तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-□□□□□□□□ (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, □□□□□□□□

2-□□□□□□□□ (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, □0प्र0, □□□□□□□□

3-मुख्य कोषाधिकारी, □□□□□□□, □□□□□

4-कोषाधिकारी, □□□□□ □□□, □□□□/वित्त एवं लेखाधिकारी,
अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, □0प्र0 □□□□□

http://shasanadesh.up.nic.in

5-रजिस्ट्रार, □0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद 704 □□□□□ □□□, □□□□□
6-अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभ □-1

आज्ञा सं,

(vkj0 ,u0 f}osnh)
□□ □□□□

http://shasanadesh.up.nic.in